UPME010166732022

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं0–1,मेरठ।
उपस्थित– फूलचन्द पटेल.....एच.जे.एस.

1– **<u>पंजीकरण संख्या– 6753/22</u>**
<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 5526/22</u>

रहीसुद्दीन .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी।

धाराः–420,467,468,471 भा0द0सं0
63,65 कापी राईट अधिनियम
मु0अ0सं0:– 239 सन 2022
थानाः– ब्रहमपुरी, मेरठ।

2– **<u>पंजीकरण संख्या– 6755/22</u>**
<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं0– 5528/22</u>

अभिलाष राजपूत .....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य .....विपक्षी।

धाराः–420,467,468,471 भा0द0सं0
63,65 कापी राईट अधिनियम
मु0अ0सं0:– 239 सन 2022
थानाः– ब्रहमपुरी, मेरठ।

<u>22–09–2022</u>

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अभियुक्तगण रहीसुद्दीन पुत्र नूर मौहम्मद निवासी गली नं0–7,श्याम नगर थाना लिसाड़ी गेट जिला मेरठ एवं अभिलाष राजपूत पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी ए–142,सूर्यापुरम शास्त्री कालोनी ब्रहमपुरी थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ द्वारा मु0अ0सं0 239 सन 2022 अंतर्गत धारा 420,467,468,471 भा0द0सं0 एव 63,65 कापी राईट अधिनियम थाना ब्रहमपुरी, जिला मेरठ में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध संख्या एवं एक ही घटना से सम्बन्धित हैं। जिस कारण उपरोक्त वर्णित दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एवं एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है। जमानत प्रार्थना पत्र पंजीकरण संख्या 6753/22 को अग्रणी जमानत आवेदन घोषित किया जाता है।

जमानत प्रार्थना पत्रों के साथ संलग्न शपथपत्रों में इस आशय का कथन किया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है,कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो लम्बित है और न ही निस्तारित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार,वादी मुकदमा उ0नि0 गौरव सिंह दिनांक

09–08–2022 को मय हमराही पुलिसकर्मीगण तलाश वांछित अपराधी में मामूर होकर शाप्रिक्स मॉल में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि सूर्यापुरम में अभिलाष नामक व्यक्ति के घर पर एन0सी0आर0टी0 की फर्जी पुस्तके बाईन्डिग हेतु आयी है। पुलिसकर्मीगण द्वारा मुखबिर द्वारा दी सूचना के आधार पर बताये गये स्थान पर पहुचें तो देखा सफेद रंग की टाटा ऐस से उक्त फर्जी एन0सी0आर0टी0 की पुस्तके अभिलाष के घर बाईडिंग के लिये उतारी जा रही थीं। एक व्यक्ति गाड़ी से पुस्तके उतार रहा था तथा दूसरा व्यक्ति उसे अंदर मकान में रख रहा था। पुलिसकर्मीगण को देखकर दोनों व्यक्ति घबरा गये तथा भागने का प्रयास किया जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग करके मौके पर पकड़ लिया गया जामा तलाशी लेते हुये नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अभिलाष राजपूत पत्र स्व0 राजकुमार तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम रहीशुददीन पुत्र नूर मौहम्मद बताया। एन0सी0आर0टी0 विभाग को दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क किया गया जिस एन0सी0आर0टी0 से मुख्य व्यापार प्रबन्धक विपिन दीवान व उत्पादन अधिकारी अतुल सक्सैना उपस्थित आये जिन्होनें बरामद पुस्तकों की जांच कर प्रमाणित किया कि बरामद पुस्तके फर्जी है। गिरफतारशुदा व्यक्तियों से पुस्तकों को लाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि यह पुस्तके आबिल उर्फ आदिल, सत्येन्द्र कुमार के यहां देवलोक थाना टी0पी0 नगर में छपवाता है। गिरफतारशुदा व्यक्तियों की निशानदेही पर मौहल्ला देवलोक पहुंचकर पुलिस द्वारा दबिश दी गयी तथा दो व्यक्तियों को मौके पर गिरफतार किया गया पहले व्यक्ति ने अपना नाम आबिल उर्फ आदिल पुत्र ईदू मेवाती व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सत्येन्द्र कुमार पुत्र ब्रजपाल सिंह बताया,प्रिन्टिंग प्रेस में रखी पुस्तकों पर एन0सी0आर0टी0 का चिन्ह बना था तथा पुस्तको की जांच की गयी तो पुस्तके फर्जी पायी गयीं। गिरफतारशुदा चारों व्यक्तियों ने बताया कि वे लोग एन0सी0आर0टी0 की फर्जी किताबों को बनाकर बेचने का कार्य करते हैं। पुलिस बल द्वारा 3470 पुस्तके एन0सी0आर0टी0 की बरामद की गयी। फर्द बरामदगी मौके पर तैयार की गयी तथा माल व मुल्जिमान को थाने लाया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर थाना ब्रहमपुरी पर अभिलाष,रहीसुददीन,आबिल उर्फ आदिल व सत्येन्द्र कुमार के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नही हुयी है,जैसा कि थाना पुलिस द्वारा दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी अभियुक्त रहीसुद्दीन की ओर से कथन किया गया है कि वह मजदूर पेशा ड्राईवर है जो रोजाना 500 रूपये की मजदूरी पर कार्य करता है कथित घटना दिनांक 09–08–2022 को प्रार्थी अभियुक्त कथित गाड़ी लेकर जा रहा था कि रास्ते में थाना पुलिस से प्रार्थी अभियुक्त की नोक–झोंक हो गयी थी जिससे रंजिश मानते हुये उसे पुलिस द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में झूठा आलिप्त कर दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त अभिलाष राजपूत की ओर से कथन किया गया है कि वह एक गरीब पेशा व्यक्ति है,जो किताबों की बाईन्डिग का काम पिछले 07 वर्ष से कर रहा है। वह एक पंजीकृत लाईसेंसी बाईण्डर है और काफी पब्लिकेशन के साथ काम करता है। प्रार्थी अभियुक्त के पास केवल किताबों की बाईन्डिग का कार्य होता है। उसका प्रिन्टिग का कार्य नही है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 10–08–2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा फरार होने तथा गवाहान को तोडने का कोई अंदेशा नहीं है। वह न्यायालय की सन्तुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के दृष्टिगत अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौ0'' के तर्को को सुना एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नही हुयी है,जैसा कि थाना पुलिस द्वारा दर्शाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण की घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी अभियुक्त रहीसुद्दीन की

ओर से तर्क किया गया है कि वह मजदूर पेशा ड्राईवर है जो रोजाना 500 रूपये की मजदूरी पर कार्य करता है कथित घटना दिनांक 09–08–2022 को प्रार्थी अभियुक्त कथित गाड़ी लेकर जा रहा था कि रास्ते में थाना पुलिस से प्रार्थी अभियुक्त की नोक–झोंक हो गयी थी जिससे रंजिश मानते हुये उसे पुलिस द्धारा प्रश्नगत प्रकरण में झूठा आलिप्त कर दिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त अभिलाष राजपूत की ओर से तर्क किया गया है कि वह एक गरीब पेशा व्यक्ति है,जो किताबों की बाईन्डिग का काम पिछले 07 वर्ष से कर रहा है। वह एक पंजीकृत लाईसेंसी बाईण्डर है और काफी पब्लिकेशन के साथ काम करता है। प्रार्थी अभियुक्त के पास केवल किताबों की बाईन्डिग का कार्य होता है। उसका प्रिन्टिग का कार्य नही है। प्रार्थी अभियुक्तगण का उक्त घटना से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्ध नही है। उक्त के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क के दौरान प्रार्थी/अभियुक्तगण द्धारा कारित अपराध को गम्भीर प्रकृति का बतातें हुये जमानत आवेदन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों से ज्ञात है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एन0सी0आर0टी0 की किताबों को फर्जी तरीके से अवैध रूप से प्रैस में छपवाकर उनकी बाईन्डिग कर प्रतिरूपण किये जाने का आक्षेप है। अभिलेख के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण द्धारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर देवलोक स्थित प्रिन्टिंग प्रैस अंतर्गत थाना टी0पी0नगर क्षेत्र में एन0सी0आर0टी0 की पुस्तकों की फर्जी रूप से कूटरचना करके उनकी प्रिन्टिंग करने के उपरांत उन्हें प्रिन्टिंग प्रैस में बिक्री के आशय से इकटठा करके रखा गया था। अभिलेख के परिशीलनल से यह भी ज्ञात है कि पुलिस द्धारा दबिश के दौरान टाटा ऐस से उक्त फर्जी एन0सी0आर0टी0 की पुस्तके अभिलाष के घर बाईडिंग के लिये उतारी जा रही थीं जिन्हें प्रार्थी अभियुक्त रहीसुद्दीन टाटा ऐस से उतार कर अभिलाष के घर पर बाईन्डिंग हेतु रख रहा था। गिरफतारी के दौरान प्रार्थी अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्तगण के कब्जे से एन0सी0आर0टी0 की 3470 पुस्तके जिनकी प्रार्थी अभियुक्तगण द्धारा फर्जी रूप से कूटरचना, छपाई व बाईन्डिग की गयी थी,बरामद की गयी हैं। अभिलेख के परिशीलन से ज्ञात है कि एन0सी0आर0टी0 से मुख्य व्यापार प्रबन्धक विपिन दीवान व उत्पादन अधिकारी अतुल सक्सैना ने मौके पर उपस्थित होकर बरामद पुस्तकों की जांच कर प्रमाणित किया है कि बरामद पुस्तके फर्जी है। प्रार्थी अभियुक्तगण की प्रश्नगत अपराध में प्रमुख भूमिका अभिलेख के परिशीलन से परिलक्षित हो रही है। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामजद है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण नही है। जो आधार प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से बचाव में लिये गये हैं। वे तर्क संगत नही हैं,जिनका कोई लाभ इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को नही दिया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरण में सह अभियुक्त आबिल उर्फ आदिल व सतेन्द्र की जमानत इस न्यायालय द्धारा पूर्व में निरस्त की चुकी है।

ऐसी दशा में प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कारित अभियोग की प्रकृति तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहा है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण रहीसुद्दीन पुत्र नूर मौहम्मद व अभिलाष राजपूत पुत्र स्व0 राजकुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की एक प्रति जमानत आवेदन पंजीकरण संख्या 6755/22 पर रखी जाये।

(फूलचन्द पटेल)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय सं0–1
मेरठ।
<u>22–09–2022</u>

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.